



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 10, 2019/चैत्र 20, 1941

No. 248]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 10, 2019/CHAITRA 20, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 298(अ).—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा को जनहित में समाप्त करने के पश्चात्, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. का.आ.1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : —

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में, नियम 15, खण्ड (ज) में, “सफेद” शब्द के स्थान पर “नीला” शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 18-3/2004-एचएसएमडी]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th April, 2019

G.S.R. 298(E).— In exercise of the powers confirmed by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Solid Waste Management Rules, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the aforesaid rules in public interest, namely: —

1. (1) These rules may be called the Solid Waste Management (Amendment) Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Solid Waste Management Rules, 2016, in rule 15, clause (h), for the word "white" the word "blue" shall be substituted.

[F. No. 18-3/2004-HSMD]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1357(E), dated the 8th April 2016.